रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240766 CG-DL-E-03122022-240766

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5392] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944 No. 5392] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5624(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची मे यथा विनिदिष्ट NH31D के किमी. 83.340 किमी. से 113.200 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH31D (नया एन.एच. 27) (घोषपुकुर-सलसलाबारी सेक्शन) के 83.340 किमी. से 113.200 किमी. तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिलाधिकारी एवं कलेक्टर अलीपुरद्वार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH31D के	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	फालाकाटा	1 बालासुन्दर 2 जयचंदपुर

8025 GI/2022 (1)

कि.मी. 83.34 से 113.2 तक		3 भुतानीरघाट 4 बाराडोबा 5 रायचंगा
		5 रायचंगा

फा. सं. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5624(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 83.340 to Km. 113.200 of the NH31D for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway from Km. 83.340 to Km. 113.200 of the NH31D (New NH-27) (Ghoshpukur-Salsalabari Section) in the State of WEST BENGAL.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate & Collector Alipurduar	83.34 KM. To 113.2 KM.	WEST BENGAL	Alipurduar	Falakata	Balasundar

[F. No. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003]

RAJESH GUPTA, Director